न्यायालय उप खण्ड अधिकारी, सोजत जिला पाली
पीठासीन अधिकारीः– श्री गोपाल जांगिड़, आर.ए.एस.

प्रार्थी

बनाम

1. भीयाराम पुत्र गोपाराम जाति गुर्जर निवासी– पीपलाद तहसील सोजत जिला– पाली।

अप्रार्थीगण

1. जयपाल गुर्जर पुत्र गुणेशराम जाति गुर्जर निवासी– पीपलाद तहसील सोजत, जिला– पाली।
02. मोहनलाल पुत्र गोपाराम जाति गुर्जर निवासी– मोहन इलेक्ट्रीकल्स बनारगढा रोड़ बाहलेककली बैंगलोर

राजस्व प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 आर.टी. एक्ट 1955

राजस्व प्रा0 पत्र संख्या 51/2021

उपस्थितिः–

01. श्री धर्मीचंद देवासी अधिवक्ता प्रार्थी उपस्थित।
02. श्री दुर्गाराम चौधरी अधिवक्ता अप्रार्थीगण उपस्थित।

–: निर्णय :– दिनांक 12/09/21

अधिवक्ता मय प्रार्थी ने राजस्व प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 212 आर.टी. एक्ट 1955 के तहत विरूद्ध अप्रार्थी इस आशय का प्रस्तुत कर निवेदन किया कि प्रार्थी ने पिता गोपाराम के दो सन्तान है। जिसमें एक प्रार्थी भीयाराम व दूसरा अप्रार्थी संख्या 02 मोहनलाल है। प्रार्थी के पिता गोपाराम कृषक तथा पशु–पालक है। पशु–पालन कर जीव का भरण पोषण करते थे। प्रार्थी तथा अप्रार्थी संख्या 02 दोनो अपने माता पिता की उपस्थिति में ही आज से करीब 35 वर्ष पूर्व अलग–अलग हो गए। पिछले 35 वर्षो से अलग–अलग निवास है तथा अप्रार्थी संख्या 02 मोहनलाल आज से 35 वर्ष पूर्व से ही स्थाई रूप से बैंगलोर में ही निवास करता है। अप्रार्थी संख्या 02 मोहनलाल के रहवासी मकान दुकान सभी बैंगलोर में स्थित है तथा बच्चो की शिक्षा सम्पूर्ण बैंगलोर में ही हुई तथा विवाह का सम्पूर्ण कार्य मोहनलाल के द्वारा बैंगलोर तथा पाली शहर में किया गया। प्रार्थी के भाई मोहनलाल का पिछले करीब 35 वर्षो से ग्राम में किसी प्रकार का राशनकार्ड, भामाशाह, कार्ड, आधार कार्ड नहीं बना हुआ है। प्रार्थी का भाई मोहनलाल पिछले करीब 35 वर्षो से स्थाई रूप से बैंगलोर में ही निवास करता है। यहां तक कि प्रार्थी व अप्रार्थी संख्या 02 की माता का देहान्त होने पर भी अप्रार्थी संख्या 02 गांव पिपलाद में नहीं आया था। प्रार्थी व अप्रार्थी संख्या 02 के पिता ग्राम में पुश्तैनी घर में निवास करते है। अप्रार्थी संख्या 02 के द्वारा उनका भरण पोषण भी नहीं किया जाता है। इस प्रकार अप्रार्थी संख्या 02 का नियमित रूप से कभी भी निवास गांव में नहीं रहा है।

सरहद मौजा ग्राम पिपलाद पटवार हल्का केलवाद में कृषक नारीया, जगाराम, सराराम पिवरान भुराराम एवं अणची बेचा भुरीया तथा अन्य काश्तकार की पुश्तैनी कृषि भूमि खसरा नम्बर 140, 141, 145, 150, 151, 152, 153, 142, 143, 144 आई है तथा सन् 1998 से पूर्व इन काश्तकारो का मौके पर बंटवाड़ा हो चुका था तथा उसके पश्चात सन 2000 में प्रार्थी एवं अप्रार्थी संख्या 02 के मध्य अलग–अलग बंटवाड़ा हो गया तथा उसी वक्त प्रार्थी के द्वारा सहखातेदार उम्मेदराम पुत्र जोराराम, चेलाराम पुत्र जस्साराम व अन्य खातेदार होने के कारण कब्जे की अदला बदली कर प्रार्थी ने अपने हिस्से की भूमि खसरा नम्बर 153 में ही प्राप्त कर ली जबकि अप्रार्थी संख्या 02 के हिस्से मे आई कृषि भूमि का कब्जा खसरा नम्बर 141 व बेरे के पास खसरा नम्बर 142 के आस–पास ही रही, प्रार्थी एवं अप्रार्थी संख्या 02 का कभी भी कब्जा नहीं रहा, जिसकी जानकारी सम्पूर्ण काश्तकार को एवं पड़ौसी काश्तकार को अच्छी तरह से ज्ञात है।

उपखण्ड अधिकारी
सोजत (राज.)

प्रार्थी के द्वारा दिनांक 30.06.1998 को सरहद मौजा पीपलाद पटवार हल्का केलवाद में खसरा नम्बर 140, 141, 142, 143, 144, 145, 150, 151, 152, 153 कुल खसरा 10 कुल रकबा 42.98 हैक्टर कृषि भूमि को खरीद की थी। उक्त कृषि भूमि की बेचाण रजिस्ट्री प्रार्थना पत्र के साथ संलग्न है। प्रार्थना पत्र में उक्त वर्णित कृषि भूमि में खातेदार काश्तकार का आपसी सहमति से मौके पर बंटवाड़ा हो चुका था। क्योंकि अप्रार्थी संख्या 02 बार–बार खेती के लिए बैंगलोर से राजस्थान नहीं आता तथा कृषि भूमि में खातेदार काश्तकार का आपसी सहमति से मौके पर बंटवाड़ा हो चुका था। क्योंकि अप्रार्थी संख्या 02 बार–बार खेती के लिए बैंगलोर से राजस्थान नहीं आता था कृषि कार्य भी नहीं करता है। जिससे प्रार्थी को धोरा–पाली, बाड़, अवराई में काफी नुकसान होता था। इसलिए आपसी सहमति से कृषको के व अन्य कृषको का हिस्सा अदला बदली कर अप्रार्थी संख्या 02 के द्वारा एक ही जगह खसरे में हिस्से की सम्पूर्ण कृषि भमि बंटवाडा के अनुसार खसरा नम्बर 141 अप्रार्थी संख्या 02 ने प्राप्त कर ली तथा उसी प्रकार प्रार्थी ने भी अन्य कृषको से अदला–बदली कर एक साथ सम्पूर्ण अपने हिस्से की कृषि भूमि का कब्जा खसरा नम्बर 153 में प्राप्त कर लिया तथा खसरा नम्बर 153 प्रार्थी के हिस्से में करीब 5.50 बीघा कृषि भमि आई। प्रार्थी के हिस्से में आई कृषि भूमि के पाडौस पूर्व में– कालूसिंह व नाहरसिंह का खेत, पश्चिम में – जगाराम सीरवी का खेत, उतर में– डायराम तिलोकराम का खेत, दक्षिण में– गौचर भूमि तथा आगे आम रास्ता। उपरोक्त बीच पड़ौस की कृषि भूमि करीब 5.50 बीघा है तथा सन् 2000 से प्रार्थी का नियमित रूप से कब्जा काश्त चला आ रहा है उक्त कृषि भूमि में लाखों रूपए खर्च कर प्रार्थी के द्वारा मेहन्दी की फसल बोई थी जो करीब 10 वर्ष तक मेहन्दी रखी गई, लेकिन उक्त कृषि भमि रास्ते पर व गौचर भूमि के पास स्थित होने से आवारा पशुओ से मेहन्दी की फसल को काफी नुकसान पहुंचता था, इसलिए प्रार्थी ने सन् 2010 में ही मेहन्दी की फसल बाहर निकलवा दी तथा सन् 2010 में प्रार्थी के द्वारा करीब 100 ट्रोली मिट्टी लाकर खेत में डाली ताकि कृषि भूमि उपजाउ हो सके तथा सन् 2011 से सोयाबीन फसल बौने लगा था। प्रार्थी के द्वारा मेहनत मजदूरी कर उक्त कृषि भूमि की हिफाजत हेतु सुरक्षा के सन् 2011 में करीब 150000 रूपए अक्षरे एक लाख पच्चास हजार रूपए खर्च कर सम्पूर्ण कृषि भूमि के पूर्व, उतर, पश्चिम दिशा में तारबंदी करवाई तथा दक्षिण की तरफ बड़ा पाला दिलवाया, 10 फीट उंचाई तक कांटो की बाड़ की थी। तत्पश्चात् प्रार्थी ने उक्त कृषि भूमि में सिंचाई के जरिए फसल लेने हेतु एक लाख रूपए खर्च कर दक्षिण कोणे में पश्चिम दिशा की और 20 गुना 20 लम्बाई–चौड़ाई व 10 फुट गहरा पानी का हौद बनाया था तथा एक निवास हेतु सीमेन्ट में कमरा भी बनाया तथा फाटक लगाई जो आज भी मौजूद है। इस प्रकार प्रार्थी ने लाखों रूपए खर्च कर उपरोक्त बीच कृषि भूमि को उपयोगी बनाया। इस प्रकार पिछले करीब 20 वर्षों से खसरा नम्बर 153 में प्रार्थी का नियमित रूप से कब्जा काश्त चला आ रहा है तथा आज भी मौके पर प्रार्थी ही काबिज है, जिसकी सम्पूर्ण जानकारी वादग्रस्त कृषि भूमि के पड़ौसी को भी है, उसके बावजूद भी अप्रार्थीगण की नियत खराब हो चुकी है, वर्तमान में ही उपरोक्त सम्पूर्ण कृषि भूमि में संयुक्त खातेदारी है, लेकिन मौके पर बंटवाड़ा हो चुका है, सभी काश्तकार अलग अलग जगह पर अलग अलग खसरे में काबिज है। प्रार्थी के भाई अप्रार्थी संख्या 02 मोहनलाल के हिस्से में कृषि भूमि जो खसरा नम्बर 141 है तथा खसरा नम्बर 142 के पास आई हुई है, उपरोक्त कृषि भूमि 5.50 बीघा अप्रार्थी संख्या 02 के हिस्से में आई है। अप्रार्थी संख्या 02 पिछले करीब 35 वर्षों से बाहर रहता है तथा मौके पर केवल बंटवाड़ा के समय उपस्थित रहा, उसके पश्चात् कभी भी अप्रार्थी संख्या 02 ने अपने हिस्से की कृषि भूमि में काश्त नहीं की। अप्रार्थी संख्या 02 की कृषि भूमि आज भी खरच बजड़ की तरह है। कभी भी धोरा पाली, वाड़ नहीं की गई। आज भी चारो तरफ से खुली व अन्दर बड़े–बड़े अंग्रेजी बबुल खड़े है। क्योंकि अप्रार्थी संख्या 02 ने कभी भी कृषि भूमि की देखरेख व परवाह नहीं की है, यहां तक कि खसरा नम्बर 142 में माताजी का मंदिर भी आया हुआ है, जिसमें आज दिन तक किसी प्रकार की मंदिर के खर्चे की राशि भी अप्रार्थी संख्या 02 ने अदा नहीं की, जबकि सभी काश्तकार ने अपने अपने हिस्से की राशि अदा की थी तथा प्रार्थी एकेले ने ने 18000/– रूपए जमा करवाए, जो आज भी अप्रार्थी संख्या 02 में बकाया है। प्रार्थी एक कृषक है। मेहनत मजदूरी कर अपने हिस्से की भूमि में तारबंदी, दीवार, फाटक, कोटरी, हौदा इत्यादि

उपखण्ड अधिकारी,
सोजत (राज.)

बनाया, जिससे प्रार्थी की कृषि भूमि मूल्यवान व उपयोगी हुई। जिससे गांव के लोग दुर्भावना रखने लगे तथा प्रार्थी को हैरान व परेशान करने की नियत से एक झुठी शिकायत तहसीलदार सोजत के समक्ष पेश की तथा तहसीलदार सोजत ने श्रीमान के समक्ष अन्तर्गत धारा 177 आर.एल.आर. एक्ट के तहत परिवाद पेश किया तथा प्रार्थी का कब्जासुदा खसरा नम्बर 153 में सीमेन्ट निर्माण करने की शिकायत की। प्रकरण संख्या 69/2016 है। जिस पर प्रार्थी ने दिनांक 31.05.2017 को जवाब पेश किया तथा सम्पूर्ण जांच कर प्रार्थी का 153 में कब्जा होना पाया, लेकिन किसी प्रकार का विधि विरूद्ध कार्य नहीं पाया गया, उस वक्त भी अप्रार्थी संख्या 02 को किसी प्रकार का नोटिस नहीं दिया, क्योंकि खसरा नम्बर 153 में अप्रार्थी संख्या 02 का कब्जा कभी भी नहीं रहा है। प्रार्थी एवं अप्रार्थी संख्या 02 दोनो सगे भाई है। अप्रार्थी संख्या 02 अक्सर परिवार सहित बैंगलोर ही रहता है। अप्रार्थी संख्या 02 धनवान व्यक्ति है, जिसके बड़ी–बड़ी दुकाने व बंगले स्थित है, फिर भी अप्रार्थी संख्या 02 ने प्रार्थी को प्रताड़ित करने हेतु अपनी कृषि भूमि प्रार्थी को बेचान नही की। जबकि उक्त कृषि भूमि जो खसरा नम्बर 141 पर अप्रार्थी संख्या 02 काबिज था, लेने को इच्छुक रहा, फिर भी अप्रार्थी संख्या 02 ने अपने सगे भाई को बेचान नहीं कर बाले बाले छुपके–छुपके अप्रार्थी संख्या 01 व 02 ने प्रार्थी को नहीं होने दी। अप्रार्थी संख्या 02 ने उक्त कृषि भूमि अप्रार्थी संख्या 01 को बेचान कर दी तथा दिनांक 05.02.2021 को जमाबंदी में अप्रार्थी संख्या 01 ने अपना नाम भी दर्ज करवा दिया। जमाबंदी में क्रम संख्या 17 पर अप्रार्थी संख्या 01 का नाम दर्ज है। प्रार्थी की कृषि भूमि कब्जासुदा, मालिकाना हक की है, जिसे प्रार्थी ने बहुत मेहनत कर उपयोगी बनाया है तथा अप्रार्थी संख्या 02 की कृषि भूमि की देखरेख व सार–सम्भाल नहीं हाने से आज भी बंजड़ है। उक्त दोनो खेतों के पड़ौसी को अच्छी तरह से ज्ञात है कि प्रार्थी ने बहुत परिश्रम कर उपयोगी बनाया तथा अप्रार्थी संख्या 02 अक्सर बैंगलोर रहा, जिससे उसकी कृषि भूमि बंजड व अंग्रेजी बबूल के रूप में रही। अप्रार्थी संख्या 01 की नियत खराब हो चुकी है, जिसने अप्रार्थी संख्या 02 से कृषि भूमि खरीदने के पश्चात् राजस्व अभिलेख में नाम दर्ज होने के बाद दिनांक 06.02.2021 को गुर्जर समाज व परिवार के लोगो की उपस्थिति में प्रार्थी को एलानिया धमकी देता है कि प्रार्थी की उक्त पाडौस की कृषि भूमि में नाजायत रूप से आपराधिक अतिचार कर कब्जा कर दूंगा, तथा प्रार्थी को उक्त कृषि भूमि की निराई, बुहाई, कटाई, फसल अवराई, बुबाई नहीं करने दुंगा तथा तारबंदी व फाटक तोड़ दूंगा। इस प्रकार का नाजायज कार्य करने का अप्रार्थी संख्या 01 को किसी प्रकार का कोई कानूनी अधिकार नहीं है। जब उक्त पाड़ौस भूमि पर अप्रार्थी संख्या 02 का कभी भी कब्जा व मालिकाना हक नहीं रहा तो , अप्रार्थी संख्या 01 को यह अधिकार सृजित नहीं होते है। अप्रार्थी संख्या 02 भी बेचान करने के पश्चात् भी नाजायज रूप से सहयोग दे रहा है। इसलिए अप्रार्थी संख्या 01 व 02 को उक्त विधि विरूद्ध कृत्य करने का कानूनी अधिकार नहीं है। उक्त वादग्रस्त कृषि भूमि पर प्रार्थी का पिछले सन् 2000 से नियमित कब्जा काश्त चला आ रहा है। प्रार्थी ने मेहनत मजदूरी कर लाखों रूपए खर्च कर कृषि भूमि को उपयोगी बनाया, तारबंदी करवाई, पानी का हौद बनाया, फाटक लगाई व कमरा बनाया। अप्रार्थी संख्या 02 के द्वारा अप्रार्थी संख्या 01 के पक्ष में की गई बेचान रजिस्ट्री में कहीं भी तारबंदी, पानी का हौद, कमरा, फाटक का हवाला नहीं दिया है, केवल मात्र अप्रार्थी संख्या 02 ने संयुक्त खातेदारी भूमि का राजस्व हिस्सा बेचान किया है। इस प्रकार की बेचान रजिस्ट्री से अप्रार्थी को किसी प्रकार से विधिक अधिकार सृजित नहीं होते है। बेचाण रजिस्ट्री की आड में अप्रार्थी संख्या 01 कानून हाथ में लेकर प्रार्थी को बेदखल नहीं कर सकता है। इस प्रकार अप्रार्थी विधि विरूद्ध कार्य करेगा तो प्रार्थी के कानूनी अधिकार व एडवर्स पजेशन का हनन होगा। इस प्रकार प्रार्थी के शांतिपूर्ण कब्जे में वादग्रस्त उक्त सम्पति की तारबंदी, फाटक, होदा, कमरा को नुकसान पहुंचाने से रोकने हेतु व प्रार्थी की कृषि भूमि में फसल अवराई, कटाई, बुवाई तथा प्रार्थी के द्वारा कृषि भूमि में उपयोग व उपभोग में दखल करने से अप्रार्थीगण को जरिए स्थाई निषेधाज्ञा रोका जाना आवश्यक है। अप्रार्थीगण के द्वारा नाजायज तरीके से विधि विरूद्ध कार्य किया जाता है तो प्रार्थी को लाखों रूपयों का नुकसान होगा, जिसका मूल्यांकन कदापि नहीं आंका जा सकता है तथा प्रथम दृष्टया मामला, सुविधि सका संतुलन व अपूर्णिय क्षति बाबत् तीनों बिंदु प्रार्थी के पक्ष में है, इसलिए अप्रार्थी संख्या 01 व 02 को किसी प्रकार की कोई क्षति नहीं हो रही है।

उपखण्ड मजिस्ट्रेट,
सोजत (राज.)

इस प्रकार अस्थाई निषेधाज्ञा का प्रार्थना पत्र मय शपथ पत्र पेश कर सरहद मौजा पीपलाद पटवार हल्का केलवाद की कृषि भूमि खसरा नम्बर 140, 141, 142, 143, 144, 145, 150, 151, 152, 153 कुल खसरा 10 कुल रकबा 42.98 हैक्टर की भूमि में प्रार्थी की कब्जाशुदा कृषि भूमि खसरा नम्बर 153 रकबा 5.50 बीघा भूमि की यथास्थिति बनाए रखने हेतु अप्रार्थीगण को जरिये अस्थाई निषेधाज्ञा पाबंद किए जाने की ईस्तदुआ की है।

राजस्व प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थीगण को जरिए नोटिसेस तलब किया गया। अप्रार्थीगण संख्या 01 व 02 की ओर से अधिवक्ता श्री दुर्गाराम चौधरी ने वकालतनामा पेश किया। तथा दिनांक 07.04.2022 से 12.09.2022 तक लगातार अवसर दिए जाने के बावजूद भी जवाब प्रार्थना पत्र पेश नहीं करने पर जवाब प्रार्थना पत्र पेश किए जाने का अवसर समाप्त किया गया।

बहस वकुलाय सुनी गई। दौराने बहस अधिवक्ता प्रार्थी ने निवेदन किया कि ताफैसला मूल वाद अस्थाई निषेधाज्ञा के जरिए अप्रार्थीगण को पाबंद किया जाने सरहद मौजा पीपलाद पटवार हल्का केलवाद में प्रार्थी की खातेदारी मालीकाना हक की कृषि भूमि खसरा नम्बर 140, 141, 142, 143, 144, 145, 150, 151, 152, 153 कुल खसरा 10 कुल रकबा 42.98 हैक्टर आई हुई है। जिसमें से प्रार्थी की कब्जाशुदा कृषि भूमि खसरा नम्बर 153 रकबा 5.50 बीघा तथा खसरा नम्बर 141, 153 मौके की यथास्थिति बनाए रखने हेतु अप्रार्थीगण को पाबंद किए जाने की ईस्तदुआ की है। जिस पर अधिवक्ता अप्रार्थी ने उक्त प्रार्थना पत्र कपोलकल्पित व वर्णित तथ्यों को झुठा बताते हुए खारिज किए जाने की ईस्तदुआ की है।

पत्रावली का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया गया। अधिवक्ता प्रार्थीगण द्वारा प्रस्तु प्रार्थना मय शपथ पत्र एवं फहरिस्त मय दस्तावेजात का गहनतापूर्वक अध्ययन कर बहस प्रार्थना पत्र अधिवक्ता प्रार्थी पर गौर कर मनन किया गया। वस्तुतः पक्षकारों के हक अधिकार दस्तावेजो के आधार पर तनकियात कायम होकर/साक्ष्य उभयपक्ष रेकर्ड पर वाद विवेचन/विश्लेषण कर विनिश्चय किया जावेगा। वर्तमान परिप्रेक्ष्य में यदि वादस्थ भूमि में प्रार्थी के कब्जे काश्त में दखल अन्दाजी की जाकर उन्है बेदखल किया जाता है तो प्रार्थी को अपूर्णीय क्षति होगी। जिससे प्रथम दृष्टया मामला प्रार्थी के पक्ष में होने व सुविधा का संतुलन भी प्रार्थी के पक्ष में होने से अप्रार्थी को जरिए अस्थाई निषेधाज्ञा रोका जाना उचित समझता है।

-: <u>आदेश</u> :-

अतः अधिवक्ता प्रार्थीगण द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 212 आर.टी. एक्ट 1955 का स्वीकार योग्य होने से स्वीकार किया जाता है। अस्थाई निषेधाज्ञा बहक प्रार्थीगण विरूद्ध अप्रार्थीगण इस आशय की सादिर की जाती है सरहद मौजा पीपलाद पटवार हल्का केलवाद में प्रार्थी की कब्जाशुदा कृषि भूमि खसरा नम्बर 153 की भूमि में प्रार्थी के हक हिस्से में दखल अन्दाजी करने से अप्रार्थीगण को जरिये अस्थाई निषेधाज्ञा वाद निर्णत तक रोका जाता है। पत्रावली फसल शुमार होकर नम्बर से कम हो। बाद तकमील जाब्ता मूल वाद के साथ नत्थी हो।

(गोपाल जांगिड़)
उपखण्ड अधिकारी, सोजत

यह निर्णय आज दिनांक 12/9/22 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर बाद हस्ताक्षर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(गोपाल जांगिड़)
उपखण्ड अधिकारी, सोजत
उपखण्ड मजिस्ट्रेट,
सोजत (राज.)